निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **36** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस एवं भूलेख संस्थान अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस एवं भूलेख संस्थान अल्मोड़ा के माह 12/2013 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2017 से 27.07.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.12.2013 से 10.12.2013 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2010 से 11/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, अल्मोड़ा

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13			-	-	58.25	47.65		10.59
2014-15	-	-	29.23	29.23	63.56	45.54	-	18.01
2015-16	-	-	19.88	19.88	71.95	50.97	-	20.97
2016-17	-	-	-	-	91.65	65.08	-	26.56

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

कार्यकारी निदेशक
प्रशिक्षक(राजस्व)
प्रशिक्षक सर्वे
प्रशिक्षक आपराधिक
प्रशिक्षक कम्पयुटर

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस एवं भूलेख संस्थान अल्मोडा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- निष्फल व्यय रू 3.18 लाख।

जनपद अल्मोड़ा के राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों हेतु रू 3.18 लाख एवं द्वितीय चरण के कार्यो हेतु रू 114.13 साख का आगणन दिसंबर - 2012 में तैयार किया गया था। कार्य निष्पादन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अल्मोड़ा को नियुक्त करते हुये प्रथम चरण के कार्यों हेतु प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत रू 3.18 लाख की धनराशि फरवरी - 2012 में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी थी, एवं कार्यदायी संस्था द्वारा जून-2012 तक रू 3.18 लाख का व्यय प्रथम चरम के कार्यों पर किया गया था।

कार्यालय में उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की जांच (जुलाई-2017) में पाया गया कि शासन द्वारा प्रथम चरम के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के पांच वर्षों के उपरांत भी द्वितीय चरण के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त नही की गयी थी, जिसके फलस्वरुप न केवल कार्य संरचना में परिवर्तन हो गया था, बल्कि व्यय धनराशि रू 3.18 लाख भी निष्फल रही थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि शासन द्वारा की गयी पृच्छाओं के संबंध में आख्या उपलब्ध कराते हुये द्वितीय चरण के कार्यों के लिये धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः स्पष्ट था कि शासन द्वारा द्वितीय चरण के लंबित कार्यों को संज्ञान में तो लियि गया था, परंतु धनराशि अवुमक्त करने में त्वरित कार्यवाही नही की गयी थी, जिनके फलस्वरुप रू 3.18 लाख की व्यय राशि निष्फल रही थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'/भाग 3 (क) प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		शून्य प्रस्तर		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख संस्थान, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री जगदीश चन्द्र कांडपाल	कार्यकारी निदेशक	विगत लेखापरीक्षा	08.05.2014
2.	श्रीमती रुचि मोहन रयाल	कार्यकारी निदेशक	06/2014	अभी तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख संस्थान, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र